ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 114-118**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

हिंदू कोड बिल और डॉ0 भीमराव अंबेडकर

1. कृष्ण कुमार
2. प्रो0 प्रतीत कुमार

1. शोध अध्येता, राजनीति विज्ञान विभाग, जनता वैदिक कॉलेज, बडौत, बागपत
2. चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय, छपरोली, बागपत (उ0प्र0) भारत

Received-23.10.2024, Revised-30.10.2024, Accepted-05.11.2024 **E-mail : Krishandhariwal93@gmail.com**

सारांशः ***डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों से भली भांति परिचित थे। इसलिए वें संविधान निर्माण के उपरांत शांत नहीं बैठें। विधि मंत्री की हैसियत से उन्होंने ऐसे कानूनी सुधार (हिन्दू कोड बिल) का बीड़ा उठाया जिससे भारत की आधी आबादी, महिलाओं को वास्तविक अर्थ में न्याय और समता का अधिकार प्राप्त हो सके और भारत एक गौरवमयी राष्ट्र बन सके। महिलाओं की तत्कालीन दीन हीन दशा के लिए डॉ भीमराव अम्बेडकर ने धार्मिक अंधविश्वास और धर्म शास्त्रों पर आधारित कानून और उससे प्रेरित सामाजिक व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया । इन कुरीतियों से निपटने के लिए ही उन्होंने हिंदू कोड बिल में हिन्दू, बौद्ध, सिख तथा जैन सबको एक सूत्र में बांधकर लाखों–करोड़ों महिलाओं को अत्याचार, उत्पीड़न एवं अन्याय से – मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किया। "उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है"। संसद में हिंदू कोड बिल के प्रस्ताव पर भारी विवाद उठा। डॉ अंबेडकर के अनेक प्रयासों के बाद भी बिल पास नहीं हो सका और इसी कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि चुनाव के बाद नवगठित संसद ने हिन्दू कोड को कुछ बदलावों के साथ पारित कर डॉ अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का प्रयास किया।***

कुंजीभूत शब्द– महिला शक्तिकरण, हिन्दू कोड बिल, धार्मिक अंधविश्वास, महिला अधिकार, नारी शिक्षा के अग्रदूत, मूल्यांकन

परिचय–"मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूं कि उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है।" –डॉ0 भीमराव अंबेडकर।

वैदिक, उत्तर वैदिक, एवं बौद्ध कालीन अध्ययन कर अम्बेडकर ने पाया कि तीनों ही काल में राजनीति को छोड़ दें तो बौद्धिक एवं सामाजिक क्षेत्र में निःसंदेह ही स्त्री बेहतर स्थिति में थी, किंतु धर्मशास्त्र काल में मनु महाराज के आगमन से उनकी स्थिति दयनीय होती चली गयी उनका शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया और मध्यकाल के समय मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से स्त्री को पर्दा प्रथा,सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं ने घेर लिया। इन सभी कुरीतियों को लेकर अंबेडकर बहुत चिंतित थे। इसीलिए डॉ भीमराव अम्बेडकर ने धार्मिक अंधविश्वास और धर्म शास्त्रों पर आधारित भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा का गहनता से वैज्ञानिक विश्लेषण कर तत्कालीन समय में चल रहे समाज सुधार आंदोलन से आगे बढ़कर स्त्रियों को अधिकार वापस दिलाने हेतु ठोस प्रयास किये। वे स्त्रियों के प्रति मनु के संकुचित विचारों को प्रकाश में लेकर आए और स्पष्ट किया कि मनुस्मृति सामाजिक–आर्थिक असमानता पर आधारित चातुर्य वर्ण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के साथ–साथ पितृसत्तात्मक ढांचे को भी पुख्ता करती है।

इसलिए इसे ध्वस्त करने का आवाहन करते हुए उन्होंने नारी समाज को सम्मान से जीने के लिए प्रेरित किया। नारी को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो इसके लिए उन्होंने भारतीय संसद में हिंदू कोड बिल (हिंदुओं के लिए आचार–संहिता) का प्रस्ताव पेश किया जिसे लेकर संसद में भारी विवाद उठा। कुछ ने भर्त्सना की, तो कुछ ने प्रशंसा। इस कोड का एकमात्र उद्देश्य यह था कि भारतीयों के जीवन के मूलभूत ढांचें में कानून के अनुसार कुछ परिवर्तन लाया जाए और हिंदुओं के लिए एक समान कानून हो, जो उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन को नियंत्रित करे। हिंदू कानून सभी हिंदुओं के लिए समान नहीं था, अतः कोड बनाना ही एकमात्र हल था। डॉ0 आंबेडकर यह मानते थे कि हिंदू कानून का तत्कालीन स्वरूप संविधान के नियमों के अनुसार सुसंगत नहीं है, जैसा कि धारा 15 में यह कि राज्य जन्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वे हिंदुत्व की धारा में रहते हुए और समय के साथ पूरी तरह सड़–गल चुकी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की वकालत की।

हिंदू कोड बिल से पूर्व नारी की स्थिति– वे कौन सी परिस्थितियां रहीं जिन्होंने डॉ0 भीमराव अम्बेडकर को स्त्री चिंतन हेतु प्रेरित किया। इसके लिए अम्बेडकर के पूर्व प्रचलित नारी संबंधित दृष्टिकोण का सिंहावलोकन अपेक्षित है। वैदिक काल में महिलाओं को समाज में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त था। वैदिक कालीन महिलाएँ जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान प्रतिष्ठित थी। उन्हें अध्ययन–अध्यापन के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त थे। जहां महिलाएँ माता, बहन, पुत्री तथा पत्नी प्रत्येक रूप में अपने कर्तव्यों को भली–भांति निभाती थी वहीं पुरुषों के जीवन में भी महिलाओं का बहुत अधिक महत्व था। वैदिक समाज में पत्नी के बिना यज्ञ भी अपूर्ण माना जाता था। महिला पुरुष की सहयोगिनी, तथा सहधर्मिणी होती थी और इसी कारण महिला को अर्धांगिनी कहा गया।[1] इस काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था और इस संस्कार के होने के बाद ही बालक बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करते थे। प्रत्येक माता–पिता का यह दायित्व था कि वह अपनी संतान चाहे वह लड़का हो या लड़की उसे शिक्षा दिलाएंगे। कई महिलाएं ऐसी भी थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर शिक्षण कार्य करती थी जिनमें विश्ववारा, गार्गी, मैत्रेयी, सिक्ता, श्रद्धा, घोषा इत्यादि है, जो ऋषिकाएँ भी कहलाती थी।[2] उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में प्रतिकूल परिवर्तन आना प्रारंभ हो चुका था। महिला के विकसित एवं सम्माननीय मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने शुरू हो चुके थे। इस काल में कन्या का जन्म अशुभ समझा जाने लगा तथा लड़के के जन्म को अधिक महत्व दिया जाने लगा। नारी जाति का उपनयन संस्कार बंद कर उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया।[3] जिससे समाज में एक नई कुरीति 'बाल–विवाह' का जन्म हुआ महिलाओं को न तो धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक समझा जाता और न ही राजनीतिक कार्यों के लिए। इस कारण वे धीरे–धीरे घर की चारदीवारी में कैद होने लगी।

बुद्धकालीन स्त्री की स्वतंत्रता का प्रमाण स्वयं मुक्ता (ब्राह्मणी भिक्षुणी) के शब्दों में बयां होता है कितना मुक्त जीवन है मेरा, और इस मुक्त जीवन के साथ कितना यश मुझे प्राप्त हो रहा है। एक अन्य भिक्षुणी के शब्दों से भी स्पष्ट होता है यहाँ इस शिला पर बैठी में पूर्ण मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। स्वाधीनता का वातावरण मेरी आत्मा एवं शरीर को आच्छादित किये हुए है।[4] धर्मशास्त्र काल में मनुस्मृति को व्यवहार की कसोटी मानकर वैदिक नियमों को तिलांजलि दे दी गयी जिसके कारण नारियाँ सामाजिक और धार्मिक

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

संकीर्ण विचारधारा का शिकार हो गई। मनु ने स्त्री को धार्मिक कार्य यज्ञ आदि के लिए अयोग्य घोषित कर यहां तक कहा कि होम करने पर वह नरक–गामी होती है।[5] मनु ने विवाह के अतिरिक्त स्त्रियों के संस्कार बिना मंत्रों के कराने की बात करते हुए लिखा हैं–

नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मे व्यवस्थितिः।
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोनृतमिति स्थितिः।। [6]

स्त्रियों का संस्कार मंत्रों से नहीं होता यह शास्त्र की मर्यादा है। स्मृति तथा धर्मशास्त्र में और किसी मंत्र में भी इनका अधिकार नहीं है, इसलिये ये झूठ के समान अशुभ हैं। 200 ई. पू० के बाद उपनयन के अभाव एवं यज्ञ अधिकार न रहने से स्त्रियों की गणना शूद्रों की कोटि में होने लगी क्योंकि मनुस्मृति में यहाँ तक लिख दिया गया कि –

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्यमर्हति।।[7]

नारी कभी स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं, वह बचपन में पिता के युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रहे। स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया और पति की सेवा करना ही उसका परम कर्तव्य माना गया। 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के काल को मध्यकाल माना जाता है। इस काल को स्त्रियों के दृष्टिकोण में काला युग कहा जा सकता है। भारत में राजाओं की आपसी फूट का फायदा बाहरी आक्रमणकारी मुसलमानों ने उठाया और भारत देश पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। इस काल में नारी की दशा दयनीय हो गई। पर्दा प्रथा ने नारी को घर की चारदीवारी की कैद में रहने के लिए मजबूर कर दिया, बाल विवाहों का बाहुल्य हो गया तथा शिक्षा के द्वार उसके लिए लगभग बंद कर दिये गये।[8] इसके साथ–साथ सती प्रथा भी अपने शिखर पर पहुंच गई थी। इसे भारतीय नारी का दुर्भाग्य कहें या कुछ और कि एक समय उसे देवी बनाकर पूजा जाता था, परंतु अब उसे सेविका बनाकर उसका शोषण किया जाने लगा था। महिलाओं को उनके अधिकार वापस दिलाने के लिये महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे अनेक महापुरुषों ने प्रयास किया । इन्हीं महापुरुषों को अपना आदर्श मानकर डॉ भीमराव अम्बेडकर भी आजीवन महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहें।

डॉ0 अम्बेडकर द्वारा नारी उत्थान हेतु किये गये प्रयास– आंबेडकर ने धार्मिक अंधविश्वास और धर्म शास्त्रों पर आधारित भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा का गहनता से अध्ययन कर तत्कालीन समय में चल रहे समाज सुधार आंदोलन से आगे बढ़कर स्त्रियों को अधिकार वापस दिलाने हेतु ठोस प्रयास किये। उन्होंने समता सैनिक दल में महिला शाखाओं की अलग से स्थापना की और उन्हें जागरूक करने के लिए अनेक महिला सम्मेलनों में भाग लिया। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर में 1930 में महिलाओं का अलग से सम्मेलन आयोजित किया। इसी प्रकार 20 जुलाई 1942 को आयोजित अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन में वे उपस्थित रहे जिसमें तकरीबन 25,000 महिलाओं ने शिरकत की। महिलाओं की इस परिषद की सफलता से बाबासाहेब बहुत खुश हुए क्योंकि इस प्रकार के सम्मेलन महिलाओं के विकास के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाता है।[9] संविधान निर्माण करते समय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ0 आंबेडकर ने महिलाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान रखा और संविधान में आवश्यक उपबंध किये, जैसे अनुच्छेद 5 के तहत महिलाओं को पुरुषों की भांति समान नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 15 के द्वारा लिंग पर आधारित सभी भेदभाव समाप्त कर दिये गये। जो जेंडर समानता की ओर सबसे मजबूत कदम साबित हुआ है। अनुच्छेद 14 एवं 19 के माध्यम से महिलाओं सहित सभी नागरिकों को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार, इस अनुच्छेद की धारा 3 के माध्यम से राज्य द्वारा महिलाओं के लिये विशेष उपबंध किये जाने का प्रावधान किया गया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये उन्हें अनुच्छेद 16 (2) के तहत लोक नियोजन में पुरुष के साथ समानता दी गई।[10] डॉ0 आंबेडकर के सक्रिय योगदान के कारण ही महिला और पुरुष के बीच मजदूरी व वेतन इत्यादि में विसंगतियों को समाप्त किया गया, राज्य नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया तथा काम के दौरान उन्हें प्रसूति लाभ की सुविधा भी प्रदान की गई है।

औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के साथ–साथ रोजगार के नये अवसरों में पुरुषों के समान महिलाओं को अवसर प्रदान किए गए। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत राज्य को अपनी नीतियाँ इस प्रकार संचालित करने को निर्देशित किया गया जिससे कि महिला और पुरुष सभी को समान रूप से जीविकोपार्जन के पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने का अधिकार हो, अनुच्छेद 51 में भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों में यह सम्मिलित किया गया कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। संविधान के अनुच्छेद 325 एवं अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुसार बिना किसी लिंगाधारित भेदभाव के महिलाओं का नाम निर्वाचन नामावली में सम्मिलित करने और मताधिकार प्रदान किया गया।[11] ये सभी संवैधानिक प्रावधान महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। हिन्दू कोड बिल के माध्यम से डॉ0 आंबेडकर ने जो प्रयास किये उनके फलस्वरूप ही बाद में बहुविवाह को प्रतिबंधित किया गया, महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार प्रदान कर उनकी निर्भरता को दूर करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जाति अन्तर्विवाह सम्बन्धी शास्त्रीय प्रतिबंध को समाप्त करते हुए उन्होंने महिलाओं को अन्तर्जातीय विवाह, जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता तथा तलाक संबंधी अधिकार दिलाने का भी प्रयास किया, जिसके कारण ही वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं।

हिंदू कोड बिल– सती उन्मूलन 1829 से लेकर हिन्दू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 तक एक सदी से भी ज्यादा समय में बनाए गए अलग–अलग कानूनों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश शासन ने तय किया कि सारे संशोधित हिन्दू कानूनों को एक कोड में समेकित कर दिया जाए तो बेहतर होगा। इसके लिए उन्होंने 1941 में बी.एन. राव की अध्यक्षता में एक हिन्दू लॉ कमेटी बनाई जिसने अगस्त 1944 में हिन्दू कोड बिल का एक प्रारूप भी प्रकाशित किया। इस प्रारूप के मुख्य प्रावधानों के अनुसार, बेटों और बेटियों को माता–पिता की मृत्यु पर उत्तराधिकार, विधवाओं को निर्बाध सम्पदा का अधिकार। एकल विवाह तथा निश्चित हालात में तलाक की भी सिफारिश की गई। अप्रैल 1947 में इस कोड को विधायिका के सामने पेश किया गया लेकिन तत्कालीन राजनीतिक हालात आजादी और विभाजन की वजह से इसकी विषयवस्तु पर कोई चर्चा नहीं हो पाई।[12] वर्ष 1948 में नेहरू ने असेंबली की एक उप समिति को नये कोड का प्रारूप लिखने का जिम्मा सौंपा और डॉ भीमराव अम्बेडकर को उसका मुखिया नियुक्त किया। नये कोड बिल में संपत्ति और दत्तकता के सवालों पर पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का प्रावधान किया गया और केवल एकल विवाह को ही कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की गई, सिविल मैरिज में जाति बंधन को समाप्त किया गया, और तलाक की याचिका दायर करने के लिए ठोस औचित्य की आवश्यकता निर्धारित की गई। हिंदू कोड बिल के द्वारा हिन्दुओं की निजी जिंदगी में प्रचलित प्रथाओं पर सवाल खड़ा करने से हिंदू समुदाय की भावनाओं में भारी उथल–पुथल पैदा हुई। इससे न केवल हिन्दू महासभा के परम्परावादी

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

सदस्यों अपितु राजेन्द्र प्रसाद सहित कांग्रेस के भी बहुत सारे नेताओं में खलबली मच गई। ऐसे सुधारों पर खुद अपनी सख़्त आपत्ति व्यक्त कर चुके सरदार वल्लभभाई पटेल को लिखे एक पत्र में राजेन्द्र प्रसाद ने इसे एक ऐसा कानून बताया जो हिन्दू कानूनों के लिए पराया होने के साथ–साथ प्रत्येक परिवार को तोड़ने वाला भी हैं। पार्टी अध्यक्ष पट्टाभि सीतारमैया सहित कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेताओं ने विधेयक का विरोध किया और यह आशंका व्यक्त की कि यह कानून 1951–52 के आम चुनावों से पहले स्थानीय रूढ़िवादी हिंदू समुदायों को पार्टी से दूर कर सकता है। हिंदू कोड पास न हो इसके लिए तत्कालीन कट्टरपंथियों ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के खिलाफ चारों तरफ वैमनस्य और तनाव का जाल बिछा दिया। स्वामी हरिहरानंद सरस्वती (स्वामी करपात्री महाराज) को हिंदू कोड का विरोध करने के लिए अनेक व्यक्तियों ने धन देने की पेशकश की इसलिए उन्होंने झूठा प्रचार कर हिंदू समाज में यह बात फैला दी कि हिंदू कोड में सगे बहन–भाई का परस्पर विवाह करने का प्रावधान किया गया है।[13]

डॉ0 अम्बेडकर ने इन सभी षड्यंत्रों से निपटने के लिए हिंदू कोड के पक्ष में अनेक सभाएं की। अम्बेडकर के साथ अनेक दलित, गैर दलित महिलाओं ने भी भारतीय महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक लड़ाई लड़ी है। हिन्दू कोड बिल पर दुर्गाबाई देशमुख, लोकसभा की सदस्य श्रीमती पदमजी नायडू, उर्मिला मेहता, मिसेस मिठान महिला कांग्रेस की मन्त्री, कुमारी मुकुल और उनके महिला जत्थे ने बाबासाहेब अम्बेडकर के साथ गांव–गांव, नगर–नगर घूम कर सभा और जनसभाओं में भारतीय महिलाओं की सामाजिक आर्थिक दुर्दशा के चित्र खींचे।[14] डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल का जो प्रारूप संसद में पेश किया उसके प्रमुख बिंदुओं का विवरण इस प्रकार है।

1. भरण–पोषण– हिंदू कोड बिल ने वृद्धों की देखभाल का कानूनी आधार तैयार किया। इसके साथ हिंदू स्त्री को जीविका प्राप्त करने के अपने अधिकार से वंचित हुए बगैर भी अपने पति से अलग रहने का अधिकार प्रदान किया। परंतु इसके साथ यह प्रतिबंध भी लगाया कि यदि पत्नी अपतिव्रता है या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो इस स्थिति में भरण–पोषण की हकदार नहीं होगी।[15]

2. विवाह– हिन्दू कोड बिल में दो प्रकार के विवाहों को स्वीकार किया गया। एक शास्त्रीय विवाह, जो हिंदू रीति–रिवाजों में पहले ही मौजूद था। दूसरा, सिविल विवाह जिसे रजिस्टर्ड विवाह भी कहा जाता है, में जहाँ एक ओर विवाह में सगोत्र की समानता को कोई बाधा नहीं माना गया अर्थात इसके अंतर्गत समान गोत्र में लड़का–लड़की विवाह संबंध में बंध सकते थे। दूसरी ओर इसमें अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता प्रदान की। अतः किसी भी जाति के लड़के एवं लड़की के विवाह संबंधों एवं उनसे उत्पन्न संतान को वैध माना गया। तत्कालीन हिंदू रीति–रिवाजों में पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता था। हिंदू कोड बिल में पति–पत्नी दोनों के लिए बहु विवाह को निषेध माना गया। इसके अतिरिक्त विधवा पुनर्विवाह को जायज ठहराया गया।[16]

3. गोद लेना– पहले से प्रचलित हिन्दू कानून में मात्र लड़के को ही गोद लिया जा सकता था और इसके लिए पत्नी की स्वीकृति जरूरी नही थी। हिंदू कोड बिल ने गोद लेने में में पत्नी की स्वीकृति को अनिवार्य माना। इसके अंतर्गत हिंदू परिवार में जन्मे लड़के या लड़की को गोद लिया जा सकता था, चाहे वे किसी भी हिन्दू जाति के क्यों न हो। वह गोद लिए जाने वाले की जायदाद के वारिस बन सकते थे।

4. संरक्षण– प्रचलित हिंदू रीति–रिवाजों में केवल पिता ही अपनी संतान का अभिभावक माना जाता था चाहे उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो या सन्यास ले लिया हो। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत पिता के सन्यासी बनने एवं धर्म परिवर्तन करने के बाद दोनों ही स्थिति में अभिभावक का अधिकार माता को दिया गया।

5. संपत्ति का अधिकार– परिवार की संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, विशेषतः पुत्री के अधिकार का समावेश हिंदू कोड बिल का क्रांतिकारी कदम था। इस विधेयक के अस्तित्व में आने के बाद महिला द्वारा जो भी संपत्ति प्राप्त की जाएगी वह निश्चित रूप से उसकी निजी संपत्ति होगी। इसके साथ ही पति की मृत्यु होने पर महिला को पति की संपत्ति में उसकी संतान के समान बराबर हिस्सा देने का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं यदि पिता की मृत्यु बिना वसीयत नामे के हुई है, तो पुत्री को भी पुत्रों के बराबर जायदाद की उत्तराधिकारी होगी।[17]

6. तलाक– तत्कालीन हिन्दू रीति–रिवाजों में विवाह संबंध को आत्मा का मिलन माना गया है अतः इसे अविच्छेद बताया गया, परंतु–आश्चर्य तो यह था कि यह अविच्छेदता केवल महिला के लिए थी, पुरुष के लिए नहीं अर्थात महिला किसी भी स्थिति में पुरुष से अलग नहीं हो सकती थी। हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को विवाह तलाक का अधिकार प्रदान किया और तलाक के विभिन्न आधारों का निर्धारण किया जैसे विवाह के समय पर और तब से लेकर इससे संबंधित अदालती कार्यवाही के आरंभ तक विवाह के दोनों पक्षों में से कोई एक नपुंसक हो, पति ने किसी महिला को रखैल रख लिया है या पत्नी किसी पुरुष की रखैल बन गई है या वेश्या का जीवन व्यतीत कर रही है, पति या पत्नी ने हिन्दू धर्म का परित्याग कर कोई दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया हो, यदि पति या पत्नी में से कोई एक असाध्य रूप से उन्मत या पागल है और तलाक के लिए प्रार्थना पत्र देने से पहले निरंतर पांच वर्ष के लिए उसका इलाज किया जा चुका है।[18] अतः इन आधारों में से किसी पर भी पुरुष ही नहीं महिला भी को भी तलाक का अधिकार दिया गया, जो हिंदू कोड बिल का एक क्रांतिकारी कदम था।

उपरोक्त बिन्दुओं के द्वारा डॉ0 अम्बेडकर ने पहले से चली आ रही अत्याचार पूर्ण व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू कोड में हिन्दू, बौद्ध, सिख तथा जैन सबको एक सूत्र में बांधकर लाखों–करोड़ों महिलाओं को अत्याचार, उत्पीड़न एवं अन्याय से – मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किया। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नही होता कोई भी देश चहुंमुखी विकास नहीं कर सकता। जवाहरलाल नेहरू को इस कोड से बड़ी उम्मीदें थीं। अम्बेडकर की भांति नेहरू भी इसे भारत के आधुनिकीकरण की आधारशिला मानते थे। हिंदू कोड बिल के प्रति विरोध को देखते हुए नेहरू ने अम्बेडकर से थोड़ी मोहलत माँगी और कोड को अलग–अलग चार हिस्सों में बाँट दिया, ताकि 17 सितम्बर, 1951 को असेम्बली में उसे पेश करने से पहले उस पर हो रहे विरोध को कुछ शांत किया जा सके। असेम्बली में इस बिल को पेश किए जाने के बाद इस पर जब बहस शुरू हुई तो उससे यह साफ हो गया कि खुद परम्परावादी कांग्रेसी भी इसके कम खिलाफ नहीं थे। जब जब हिन्दू कोड पर विचार करने का अवसर आया तो अधिकांश समय हिन्दू कोड बिल के विरोधियों को दे दिया जाता था ताकि कोड की धाराओं को पास होने से रोका जा सके। एक मुसलमान विधायक अजीजुद्दीन अहमद जो कलकत्ता से चुनकर आया था, उसने बिल को पारित होने से रोकने के लिए बहुत विरोध किया। कुछ सदस्यों ने जब अजीजुद्दीन अहमद से पूछा कि तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

हिन्दू कोड बिल पास हो जाने पर क्या आपत्ति हैं, तुम सदन का सारा समय बर्बाद कर देते हो और जो समय इस बिल पर विचार करने के लिए मिलता है, उस पर जब कोई दूसरा विधायक बोलने के लिए समय माँगता तो उसको समय भी नहीं मिलता है। इस पर अजीजुद्दीन अहमद का तर्क था कि वह हिन्दू कोड बिल का विरोध इसलिए करता है कि जो सरकार आज हिन्दुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, यदि इसे रोका न गया तो कल हम मुसलमानों के पर्सनल लॉ में भी हस्तक्षेप कर उसमें भी संशोधन करने लगेगी।[19] कुछ दिन की चर्चाओं के बाद जैसे तैसे हिंदू कोड बिल चार धाराएं पारित हो गई थी लेकिन 25 सितम्बर को हिन्दू कोड बिल के विवाह और तलाक से संबंधित हिस्से में बहुत सारे संशोधनों के जरिए उसको क्षत विक्षत कर दिया गया तथा हिंदू कोड बिल की जो चार धाराएं पारित हो चुकी थीं उन्हे भी यह कहते हुए रद्द कर दिया कि अगले चुनाव के पश्चात बनने वाली संसद में इस बिल पर विचार किया जाएगा। नेहरू ने इस घटनाक्रम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर डॉ भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उतना समर्थन नहीं किया जितना करना चाहिए था, शायद नेहरू को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर न करने और अपना इस्तीफा देने की जो धमकी दी है, उसे वे अमल में न ले आएँ। अन्ततः हिंदू कोड बिल की दुर्दशा को देखकर 27 सितम्बर 1951 को डॉ भीमराव अम्बेडकर ने नेहरू सरकार से इस्तीफा दे दिया।

1951 के निर्वाचन में बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेसी नेताओं ने उनके मुकाबले अपनी एक कठपुतली कजरोलकर को खड़ा करके हरा दिया। जिस कारण बाबा साहेब लोकसभा के सदस्य नहीं बन पाए। नव गठित संसद में हिन्दू कोड को पारित करने के लिए एक ब्राह्मण विधि मंत्री (पाटस्कर) को नियुक्त किया गया, जो ह्रदय से बाबा साहेब की योग्यता के प्रशंसक थे। वह प्रतिदिन सायंकाल बाबा साहेब के पास उनके निवास स्थान 26 अलीपुर रोड (दिल्ली) आते और हिन्दू कोड बिल की प्रत्येक धारा को बारीकियों से समझते। उस विधेयक के खिलाफ जो युक्तियाँ दी जाने की संभावनाएं थीं, उनका भी समाधान बाबा साहेब से करके संसद में हिन्दू कोड बिल की एक–एक धारा को प्रस्तुत करके पारित कराते गए। डॉ अंबेडकर के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप 1956 ई. में हिन्दू कोड बिल संसद द्वारा चार भागों में पारित किया गया– हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू अल्पसंख्यक और गार्जियन कानून, हिन्दू गोद और भरण–पोषण कानून[20] इन्हीं कानूनों की वजह से आज की स्त्री मजदूरी, श्रम और अकुशल क्षेत्रों में खून–पसीना बहाने के अलावा साहित्य, पत्रकारिता, मीडिया, व्यवसाय, राजनीति, विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, सेना आदि क्षेत्रों मे भी अग्रणी है।

हिंदू कोड बिल की प्रासंगिकता– डॉ0 अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा भेदभाव किए बिना स्त्री पुरुषों के लिए संविधान में समान मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। तत्पश्चात ही वे महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने में जुट गये। इसके लिए हिंदू कोड बिल के तहत उन्होंने महिलाओं के लिए तलाक, विवाह, संपत्ति के अधिकार इत्यादि मुद्दों को केंद्र बनाया। उनका कहना था कि लैंगिक असमानताओं को जो दूर किए बिना ही आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कानून पास करते जाना अपने संविधान का मजाक उड़ाना है। यह ठीक वैसा ही है जैसे गोबर के ढेर पर महल खड़ा करना।[21] डॉ अंबेडकर के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप 1956 ई. में हिन्दू कोड बिल संसद द्वारा चार भागों में पारित किया गया– हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू अल्पसंख्यक और गार्जियन कानून, हिन्दू गोद और भरण–पोषण कानून। उक्त कानूनों और अधिकारों के कारण ही सभी धर्मों अर्थात् हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, स्त्रियों को न केवल मानवीय अधिकार मिले अपितु उनकी सामाजिक प्रगति को भी आश्रय मिला। हिन्दू कोड बिल के द्वारा डॉ. अम्बेडकर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जिस कानूनी उपागम को स्थापित करना चाहते थे वही कानूनी उपागम आज महिला आन्दोलन का मूलाधार बना हुआ है। इसके साथ ही पारिवारिक संपत्ति में विद्यमान सभी लैंगिक विभेद को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधित 2005 के द्वारा सुधारा गया है। इसने कृषि भूमि को संपत्ति के रूप में परिभाषित कर महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किया गया। इसके साथ ही विवाहित पुत्री संयुक्त संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है एवं पैतृक घर में रहना उसका अधिकार है।[22] यह अम्बेडकर की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जिन्होंने कई वर्षों पहले संपत्ति संबंधी विषमता को हिन्दू कोड बिल के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया और यदि यह प्रयास ऐसे ही निरंतर जारी रहा तो देश की आधी आबादी अर्थात महिलाएं सामाजिक–आर्थिक रूप से सशक्त होकर राजनीतिक समानता का लाभ उठा पाएगीं और तभी सही मायनों में भारत में लोकतंत्र अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा।

निष्कर्ष– उपरोक्त अध्ययन के अनुसार यह कहा जा सकता है कि डॉ0 अम्बेडकर ने पहले से चली आ रही अत्याचार पूर्ण व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू कोड में हिन्दू, बौद्ध, सिख तथा जैन सबको एक सूत्र में बांधकर लाखों–करोड़ों महिलाओं को अत्याचार, उत्पीड़न एवं अन्याय से–मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किया। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नही होता कोई भी देश चहुंमुखी विकास नहीं कर सकता। डॉ0 अंबेडकर कहते थे कि यदि हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज को बरकरार रखना है तो जहाँ इसमें सुधार या संशोधन करना जरूरी हो वहाँ इसे करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। धर्म और समाज रूपी पानी जो सदियों से एक गहरे कुण्ड में पड़ा सड़ता चला आ रहा है, उसे निकाल कर उसमें नया जल भरा जाए। डॉ0 अम्बेडकर के इस मत से सहमति रखते हुए नेहरु ने हिंदू कोड बिल के प्रति अपने सहयोगियों को आश्वस्त करने की कोशिश की परन्तु भिन्न–भिन्न वर्गों और संप्रदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि अपनी–अपनी संकीर्णताओं से उभर नहीं सके। इसी कारण बिल समग्र रूप से पारित नहीं हो सका। हिन्दू कोड की जो चार धाराएं पारित हो चुकी थीं, राजेन्द्र बाबू के इस्तीफे की धमकी ने उन्हें भी रद्द करा दिया और इस कोड पर अगले चुनावों के पश्चात् विचार करने का निर्णय किया गया। चुनाव पश्चात जैसे ही नई संसद अस्तित्व में आयी तो उसने डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चलते हुए हिन्दू कोड बिल को पारित कर पुरुष वर्चस्ववादी नजरिए को खारिज किया जिससे नारी सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये हिंदू कोड बिल के द्वारा दिये गये अधिकारों की ही देन है जो आज नारी मूक बधिर नहीं है, वह शोषण के विरुद्ध आवाज भी उठाती है और तर्क एवं सवाल भी करती है। आज की स्त्री मजदूरी, श्रम और अकुशल क्षेत्रों में खून–पसीना बहाने के अलावा साहित्य, पत्रकारिता, मीडिया, व्यवसाय, राजनीति, विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, सेना आदि क्षेत्रों मे भी अग्रणी है, इसलिए डॉ0 भीमराव अम्बेडकर अक्सर कहा करते थे कि मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से भी अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पारित करने में है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आनंद, अन्विता, गुप्तकाल में नारियों की स्थिति, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1992, पृष्ठ–8,
2. सिंह,बी.एन., आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2010, पृष्ठ–43,

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

3. यादव, शैलेन्द्र कुमार, भारतीय महिलाओं का शोषणः वैदिक काल से अब तक, International Journal of Scientific Research in Science and Technology (www.ijsrst.com) ©2017 IJSRST Volume 3 Issue 7 Print ISSN: 2395–6011 | Online ISSN: 2395–602X, Page no–1247,
4. अम्बेडकर, डॉ0 भीमराव, हिन्दू नारी का उत्थान और पतन–सम्यक प्रकाशन, पांचवां संस्करण 2023, ISBN: 9789387431720, पृष्ठ–40,45,
5. डॉ0 आराधना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, राहुल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ, 2015, ISSN:978–81–88791–52–1,पृष्ठ–15.
6. भट्ट, पंडित रामेश्वर, मनुस्मृति, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, 2019, नई दिल्ली, पृष्ठ–244,
7. वही पृष्ठ–242,
8. कटारिया, कमलेश, नारी जीवन : वैदिक काल से आज तक, यूनिक ट्रेडर्स प्रकाशन, जयपुर, 2009, पृष्ठ–30,
9. सामाजिक न्याय संदेश (महिला सशक्तिकरण) अंक 3 मार्च 2016, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, www. ambedkarfoundation.nic.in पृष्ठ–3 ,
10. चौधरी, बासुकी नाथ, युवराज कुमार, (सं), भारतीय शासन एवं राजनीति (2019) ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, ISBN:9788125041849, हैदराबाद।
11. कश्यप, सुभाष, हमारा संविधान (भारत का संविधान और संवैधानिक विधि)1995,नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, ISBN: 978–81–237–1913–9, नई दिल्ली, पृष्ठ–253,
12. प्रकाश, डॉ. पूरनेनदू , डॉ. अम्बेडकर दलित चेतना और हिन्दू कोड बिल, Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, Vol- XI, Issue No- XXI, April-2016, ISSN: 2230-7540,
13. विद्यावाचस्पति, सोहन लाल शास्त्री, हिंदू कोड बिल और डॉ. अम्बेडकर, नवाँ संस्करण–2022, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ–14,20,
14. परते, डॉ0 गौरी सिंह, महिलाओं के अधिकार में हिन्दू कोड बिल के दृष्टिकोण International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR) ISSN–2347–7075 Vol-9 Issue-3 Jan–Feb–2022,
15. डॉ0 अम्बेडकर और हिन्दू कोड बिल, 1983, भीम पत्रिका पब्लिकेशन, जालंधर, पृष्ठ–15,
16. माहेश्वरी, सरला, समान नागरिक संहिता, 1997, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ–35,
17. विद्यावाचस्पति, सोहन लाल शास्त्री, हिंदू कोड बिल और डॉ. अम्बेडकर, नवाँ संस्करण–2022, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ–58,
18. भारती, कंवल, समाजवादी अम्बेडकर, 2009, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ–246,
19. विद्यावाचस्पति, सोहन लाल शास्त्री, हिंदू कोड बिल और डॉ. अम्बेडकर, नवाँ संस्करण–2022, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ–14,
20. सामाजिक न्याय संदेश (महिला सशक्तिकरण) अंक 3 मार्च 2016, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, www. ambedkarfoundation.nic.in पृष्ठ– 5 ,
21. रत्तू, नानक चन्द, डॉ. अम्बेडकर के अंतिम कुछ वर्ष अनु. शील प्रिय बौद्ध, 2005, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ–31,
22. Agarwal, Bina, Landmark Step to Gender Equality, The Hindu, September 25, 2005, URL:http://www. thehindu.com/thehindu/mag/2005/09/25/stories/2005092500050100.htm

*****